

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 सरिता (वरिष्ठता क्रमांक-10366) चिकित्साधिकारी अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1000(एस0/बी0)/2015 डा0 सरिता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2016 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel.

Submission of learned counsel for the petitioner is that petitioner is not being promoted from the post of Level-I Medical Officer to Level-II and the benefit of revisional pay scale, including ACP, has also not been given to the petitioner although juniors to the petitioner have been given the said benefit. He further submits that the petitioner is entitled for the aforesaid benefit, but the opposite parties are illegally withholding the same. It is submitted that in this regard, petitioner has moved representation dated 8.4.2015, contained in Annexure No.12 to the writ petition, but the same has also not been disposed of up till now. Writ petition was filed in the year 2015, but the counter affidavit has not been filed by the learned Standing Counsel though more than one year has elapsed. He, therefore, prays that a direction may be issued to the authority concerned to dispose of the representation of the petitioner within a stipulated period.

Writ petition is accordingly disposed of with the direction that representation of the petitioner dated 8.4.2015, contained in Annexure No.12 to the writ petition, shall be considered and disposed of by the authority concerned within a period of two months from the date a certified copy of this order is produced before him.

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 06.07.2016 के समादर में डा0 सरिता को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 13.04.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा0 सरिता को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 सरिता को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 18.12.2009 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या- 1631 (1)/पॉच-8-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ को रिट याचिका संख्या-1000(एस०/बी०)/2015 डा० सरिता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
8. डा० सरिता चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।